

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर
अपील संख्या :-156 / 2024

भारत सिंह

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर राजस्थान।
3. जिला विस्तार अधिकारी, सीएडी, बूंदी।
4. सोनूकुमार मीणा कृषि पर्यवेक्षक, मुख्यालय बोडोली उहर सहायक निदेशक कृषि विस्तार, भरतपुर।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 22.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री वी.एस. भावला, अधिवक्ता
प्रत्यर्थागण की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य**

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय लबान, जिला विस्तार सीएडी, बूंदी में कार्यरत है। आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मु. बोडोली उहर, सहायक निदेशक कृषि वि. भरतपुर में किया गया है। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.03.2024 (अनुलग्नक-2) के द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के प्रावधानों के विरुद्ध पारित किया गया है। उनका तर्क है कि जिला परिवर्तन करने में आलोच्य आदेश पारित किए जाने से पूर्व पंचायती राज विभाग की सहमति नहीं ली गई है, इस कारण से आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के प्रावधानों के विरुद्ध पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि निजी प्रत्यर्था संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर संमजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, क्योंकि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्था सोनू कुमार मीणा को पदस्थापित किया गया है और अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्था के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी को किसी रिक्त स्थान पर नहीं भेजा गया है। ऐसे में

आलोच्य आदेश दुर्भावनापूर्वक पारित किया गया है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश को स्थगित करते हुए नोटिस जारी किए जाने की प्रार्थना की है।

3. अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी के संबंध में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण किए जाने का आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के प्रावधानों के विरुद्ध है, क्योंकि पंचायती राज विभाग की सहमति प्राप्त किए बिना पारित किया गया है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No(s). 1699-1723 of 2015 September 22, 2022 Bharat Sanchar Nigam Ltd. And other etc. v/s M/s Tata Communication Ltd. etc का अवलम्ब लिया है। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:—

"The power to make retrospective legislations enables to Legislature to obliterate an amending Act completely and restore the law as it existed before the *amending* Act, but at the same time, administrative/executive orders or circulars, as the case may be, in the absence of any legislative competence cannot be made applicable with retrospective effect. Only law could be made retrospectively if it was expressly provided by the Legislature in the Statute. Keeping in mind the afore-stated principles of law on the subject, we are of the view that applicability of the circular dated 12th June, 2012 to be effective retrospectively from 1 st April 2009, in revising the infrastructure charges, is not legally sustainable and to this exten, we are in agreement with the view expressed by the Tribunal under the impugned judgement "

4. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि कार्योत्तर स्वीकृति आदेश के आधार पर भी नियम विरुद्ध पारित पूर्व के आदेश को सही होना नहीं माना जा सकता है।
5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान में कृषि विभाग के मंत्री को आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा राजस्थान सरकार ने पंचायती राज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार सौंपा है। इस प्रकार कृषि मंत्री ही पंचायतीराज विभाग में पदस्थापित कृषि विभाग के कर्मचारियों का स्थानांतरण करने की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। आलोच्य आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। आदेश कृषि मंत्री से अनुमोदित है। इसके अलावा जो स्थानांतरण दिनांक 15.03.2024 से पूर्व कृषि विभाग द्वारा किए गए हैं उनके लिए भी कार्योत्तर अनुमोदन आदेश दिनांक 16.03.2024 के द्वारा कृषि मंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान आलोच्य आदेश का कार्योत्तर अनुमोदन कृषि मंत्री द्वारा अनुमोदित हो चुका है। ऐसे में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) की अवहेलना होना नहीं माना जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर स्थानांतरित किए जाने में कोई दुर्भावना नहीं रही हो। अपीलार्थी वर्ष 2018 से लगातार वर्तमान पद पर कार्यरत है और जनहित में उनका स्थानांतरण किया गया है।
6. हमने दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत Civil Appeal No(s). 1699-1723 of 2015 September 22, 2022 Bharat Sanchar Nigam Ltd. And other etc. v/s M/s Tata Communication Ltd. etc में जो निर्णय पारित किया है, उसमें कोई कानून भूतलक्षी (Retrospectively) प्रभाव से पारित किया जाना गलत माना है। वर्तमान मामले में कोई कानून भूतलक्षी प्रभाव से पारित नहीं किया गया है, बल्कि केवल मात्र कार्योत्तर स्वीकृति के बाद की दिनांक में लिया गया है। कार्योत्तर स्वीकृति को नया कानून बनाने की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर लागू नहीं किया जा सकता है।
8. हमारे द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश डी बी स्पेशल अपील रिट संख्या 683/2021 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम मूल शंकर आदेश दिनांक 14.01.2022 का अवलोकन किया गया। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप), नियम, 2011 के नियम-8(iii) की अवहेलना किए जाने की आपत्ति के संबंध में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :-

"In this context, we do not find any limitation or inhibition under the Rules by virtue of which the ex-post facto consent of the Panchayati Raj department can not be obtained. The consent of the Panchayati Raj department is of course needed before effecting inter-district transfer as we have already concluded. However, there is nothing in the Rules to suggest that the same is a since qua non and if the consent is obtained post facto, the order of transfer cannot be validated. We notice that in the Judgement dated 11.10.2018 passed by the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan and others Vs. Samleta (D.B. Spl. Appl. Writ No. 736/2018), the Court had confirmed the judgement of the learned Single Judge setting aside orders of transfers under similar circumstances where the consent of the Panchayati Raj department was not obtained. In that case, the counsel for the employee-original petitioners had argued that the ex-post facto sanction granted by the Panchayati Raj department would not save the order of transfer. The Division Bench while confirming the view of the learned Single Judge had not given any declaration on this question. The judgement on this point is thus sub silentio and In our view does not lay down any ratio of a binding nature on this question. Under the circumstances, we reiterate that the Rules of 2011 do not prohibit ex-post facto sanction being granted by the Panchayati Raj department and if such ex-post facto sanction is obtained hereafter, it would be open for the Government to regularize all orders of inter district transfers."

9. इस प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कार्योत्तर स्वीकृति बाद में दिए जाने को गलत नहीं माना है तथा यह भी माना है कि 2011 के नियमों में कार्योत्तर स्वीकृति लिये जाने की कोई पाबन्दी नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचना की रोशनी में हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी का जो स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है उसमें नियम-8(iii), राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप), नियम, 2011 की अवहेलना नहीं की गई है।
10. जहां तक अपीलार्थी का यह तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी सोनू कुमार मीणा को स्थानांतरित किया गया है और अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी के स्थान पर स्थानांतरित कर निजी प्रत्यर्थी को लाभ प्रदान किया गया है। इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं क्योंकि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने के उद्देश्य से ही अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना हम नहीं पाते हैं। निजी प्रत्यर्थी व अपीलार्थी को एक-दूसरे के पद पर स्थानांतरित

करने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ प्रदान किया गया हो। नियोक्ता को अधिकार है कि वह अपने विवेक से निर्णय ले सकता है कि प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता, जब वह निर्णय नियम विरुद्ध हो अथवा कोई दुर्भावना रही हो। हम आलोच्य आदेश में कोई नियम विरुद्धता या दुर्भावना होना नहीं पाते हैं। अपीलार्थी वर्तमान पद पर अगस्त, 2018 से लगातार कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी को समुचित अवधि तक वर्तमान पद पर पदस्थापित रखने के पश्चात् अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना प्रकट नहीं होती है।

11. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)